हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए (1) 18/2008 तारीख शिमला–9, 8 सितम्बर , 2010.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24 अगस्त, 2010 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 अगस्त, 2010 को आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त किए गए आक्षेप(आक्षेपों)/सुझाव(सुझावों) पर राज्य सरकार द्वारा, समयक् रूप से विचार किया गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(3)6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः–

संक्षिप्त नाम।

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 है।

नियम 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–

"(ग) "जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, पंचायतों के निर्वाचन के संचालन हेतु, नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है और सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी इसके अन्तर्गत हैः

परन्तु जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक जिला

निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसी जिला के लिए की जाती है वहां राज्य निर्वाचन आयोग उनकी नियुक्तियों के क्रम में, उस क्षेत्र को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जिसकी बावत प्रत्येक ऐसा अधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करेगा।"।

नियम 11 का प्रतिस्थापन ।

3. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"11. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अन्तिम प्रकाशन.—(1) नियम 6, 8 और 9 के अधीन किया गया परिसीमन, नियम 10 के अधीन किए गए मण्डलायुक्त के आदेशों, यदि कोई हों, के दृष्टिगत संशोधित किया जाएगा और परिसीमन को, इस निमित्त प्रस्ताव के प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अंतिम आदेशों की एक—एक प्रति, उपायुक्त, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कार्यालयों के सूचना बोर्डों पर, और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे उपायुक्त विनिश्चित करे, चिपकाई जाएगी तथा उसकी प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को भी भेजी जाएंगी।

(2) कोई भी निर्वाचक, अंतिम परिसीमन आदेश की प्रति उपायुक्त या, यथास्थिति, जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सचिव को आवेदन करके अभिप्राप्त कर सकेगा, जिसे वह उक्त निर्वाचक को, प्रति पृष्ठ या उसके भाग के लिए, पांच रूपए की दर से, संदाय पर, रोकड़ रसीद के विरूद्ध उपलब्ध करवाएगा।"।

नियम 14 का संशोधन ।

4. उक्त नियमों के नियम 14 में खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(च) किसी नगरपालिका या किसी अन्य ग्राम सभा में एक मतदाता के रूप में पहले से ही रजिस्ट्रीकृत है।"।

नियम 23 का संशोधन ।

5. उक्त नियमों के नियम 23 के अंतिम परंतुक में "पांच दिन" शब्दों के स्थान पर "नौ दिन" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 24 का संशोधन ।

6. उक्त नियमों के नियम 24 के उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उप–नियम (2) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात, उसे प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा और, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे नाम को उसमें सम्मिलित करने के लिए निदेश देगाः

परंतु यदि आवेदक, जिसका नाम सम्मिलित करने हेतु आदेश किया गया है, पहले ही उसी ग्राम सभा के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र या अन्य ग्राम सभा या नगरपालिका की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, तो ऐसा नाम उस निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगाः

परंतु यह और कि नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन के पश्चात्, किसी भी समय इस नियम के अधीन नामांकन पत्रों के फाइल करने के लिए नियत अंतिम तारीख से नौ दिन के अपश्चात्, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जाएगाः

परंतु यह और कि नामांकन करने हेतु अंतिम तारीख को या इसके पश्चात् से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी प्रविष्टि

का न तो संशोधन या पक्षांतरण किया जाएगा और न ही उसे हटाया जाएगा।"।

नियम 25 का संशोधन ।

7. उक्त नियमों के नियम 25 में,–

(क) उप–नियम (1) में खण्ड (ङ) का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा अधिप्रमाणित निर्वाचक नामावली की एक पूर्ण प्रति ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के लिए रखी जाएगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।"।

नियम 28 का संशोधन ।

8. उक्त नियमों के नियम 28 में,–

(क) उप–नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप–नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(8) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रथम निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् चक्रानुक्रम से आरक्षित होंगे। अगले निर्वाचन के समय अगली अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं और सामान्य प्रवर्ग की महिलाओं सहित, आरक्षित किए जाएंगे और ऐसा ही क्रम पश्चातवर्ती निर्वाचनों के लिए होगाः परन्तु किसी विशिष्ट

प्रवर्ग के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की तब तक पुनरावृति नहीं होगी, जब तक कि सभी अन्य निर्वाचन क्षेत्र चक्रानुक्रम द्वारा इस परिधि में नहीं आ जातेः

परंतु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षणद्व ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में, जहां उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस निर्वाचन की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा। "; और

(ग) यथा प्रतिस्थापित उप–नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

"(8–क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारंभ के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए स्थानों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो कि उक्त निर्वाचन उप–नियम (8) के अधीन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात् स्थानों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।

अध्याय–5क का अंतःस्थापन।

9. उक्त नियमों के अध्याय–5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

"अध्याय–5क
पोल ड्यूटी मतपत्र

49–क. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों का मतदान हेतु हकदार होना.– इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को उनके द्वारा पूर्ण करने के अध्यधीन, निर्वाचक, जो उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ हैं, पंचायत के किसी निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।

49–ख. मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओं द्वारा सूचना.– उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर कोई निर्वाचक, जो किसी निर्वाचन में मतदान करने का इच्छुक हो, उस पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप–28क में इस प्रकार आवेदन करेगा ताकि वह, मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी कमतर अवधि, जैसी राज्य निर्वाचन आयोग अनुज्ञात करे, के भीतर उसके पास पहुंचे; और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक निर्वाचक है, तो वह उसको ग्राम पंचायत के सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पोल ड्यूटी मतपत्रों को जारी करेगा।

49–ग. मतपत्र का प्ररूप.– उसी ब्लाक (खण्ड) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले मतपत्र वैसे ही होंगे, जैसे संबंधित पंचायत के अन्य निर्वाचकों को जारी किए जाते हैं।

49–घ. मतपत्र जारी करना.–(1) ग्राम पंचायत हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा, ऐसे मतदाता को पोल ड्यूटी मतपत्र, निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत रूप से, परिदत्त किए जाएंगे,–

(क) प्ररूप–28ख में दो घोषणा प्ररूप (एक ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु);

(ख) प्ररूप–28ग में पांच लिफाफे (प्रत्येक मतपत्र के लिए एक);

(ग) प्ररूप–28घ में रिटर्निंग आफिसर को संबोधित दो बड़े लिफाफे (एक ग्राम पंचायत के लिए और अन्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् हेतु); और

(घ) प्ररूप–28ङ में निर्वाचक के मार्गदर्शन हेतु अनुदेश।

(2) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर उसी समय पर,–

(क) निर्वाचन नामावली की चिह्नांकित प्रति में यथा प्रविष्ट मतदाता की निर्वाचक नामावली संख्या को, मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अभिलिखित करेगा;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति में, मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र जारी किया गया है तथापि उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या को उसमें अभिलिखित नहीं करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान करना अनुज्ञात नहीं किया गया है।

(3) किसी निर्वाचन में, निर्वाचन डयूटी पर आरूढ़ किसी मतदाता को कोई भी मतपत्र जारी करने से पूर्व, उस मतपत्र की क्रम संख्या को ऐसी रीति में प्रभावी रूप से गुप्त रखा जाएगा जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे।

(4) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ समस्त मतदाताओं को मतपत्र जारी करने के पश्चात्, निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति को एक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

(5) ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को भी, पृथक पैकेट में सीलबंद करेगा और पैकेट पर इसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा इसे सीलबंद करने की तारीख को अभिलिखित करेगा।

49–ङ. मत देना/वोट रिकार्ड करना.–(1) कोई मतदाता, जिसने पोल ड्यूटी मतपत्र प्राप्त किया है और मत देना चाहता है वह, प्ररूप–28ङ में

अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत दर्ज (रिकार्ड) करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र को प्ररूप–28ग में पृथक लिफाफे में बंद करेगा।

(2) मतदाता, पंचायत के रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, की उपस्थिति में प्ररूप–28–ख में घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।

49–च. मतपत्र की वापसी.–(1) मतदाता अपना मत देने और नियम 49–ङ के अधीन घोषणा हस्ताक्षरित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अधिकारी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त अधिसूचित करे, को ऐसे समय के भीतर जैसा नियत किया जाए तथा प्ररूप–28ङ में उसे संसूचित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र और घोषणा को वापस करेगा।

(2) यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त कोई लिफाफा, उप–नियम (1) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त किया जाता है तो वह उस पर उस की प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफों को इक्कठा पृथक पैकेट में रखेगा।

(3) ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा कि उस द्वारा प्राप्त किए गए पोल ड्यूटी मतपत्र से युक्त समस्त लिफाफे–

(क) ग्राम पंचायत के निर्वाचन की दशा में, सम्वद्ध ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु सहायक रिटर्निंग आफिसर को दे दिए गए है;

(ख) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में, सम्वद्ध पंचायत समिति निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को मतों की गणना के समय दे दिए गए है; और

(ग) जिला परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की दशा में सम्वद्ध जिला

परिषद् निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर को, मतों की गणना के समय दे दिए गए हैं।

नियम 73—क का अंतःस्थापन।

10. उक्त नियमों के नियम 73 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"73—क. पोल ड्यूटी मतपत्र के माध्यम से प्राप्त किए गए मतपत्रों की गणना.— (1) रिटर्निंग आफिसर इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में प्रथमतः पोल ड्यूटी मतपत्रों का निपटान करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप—28घ में प्राप्त किया गया कोई भी लिफाफा इस निमित्त नियत समय के अवसान के पश्चात् नहीं खोला जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में रखे गए किसी भी मत की गणना नहीं की जाएगी।

(3) अन्य लिफाफे एक के बाद एक खोले जाएंगे और जैसे ही प्रत्येक लिफाफा खोला जाता है, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप—28ख में अंतर्विष्ट घोषणा की प्रथमतः जांच करेगा और यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित नहीं हुई है, या अन्यथा सारभूत रूप से त्रुटिपुण है, या यदि मतपत्र की क्रम संख्या, (प्ररूप—28ख) में प्रविष्ट की गई क्रम संख्या से, प्ररूप—28ग में लिफाफे पर पृष्ठांकित क्रम संख्या से भिन्न है तो उस लिफाफे को नहीं खोला जाएगा और उसपर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर इसमें अंतर्विष्ट मतपत्र को रद्द करेगा।

(4) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफा और इसके साथ प्राप्त घोषणा को प्ररूप—28घ में बनाए लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप—28घ में ऐसे समस्त लिफाफे अलग पैकेट में रखे जाएंगे जो मुहरबंद किए जाएंगे और उन पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम गणना की तारीख और इसकी संक्षिप्त अन्तर्वस्तु को अभिलिखित किया जाएगा।

(5) रिटर्निंग आफिसर तय प्ररूप—28ख की समस्त घोषणाओं, जो

उसे व्यवस्थित रूप में प्राप्त हुई हों, को अलग पैकेट में रखेगा और उन्हें प्ररूप–28ग में किसी लिफाफे को खोलने से पूर्व मुहरबंद करेगा और उस पर उप–नियम (4) में निर्दिष्ट विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा।

(6) प्ररूप–28घ में लिफाफे जो इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन पहले से ही व्यवहृत नहीं किए गए हैं तब एक के बाद एक खोले जाएंगे और रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतपत्र की छानबीन करेगा और उस पर अभिलिखित (दर्ज) मतपत्र की वैधता विनिश्चित करेगा।

(7) पोल ड्यूटी मतपत्र अस्वीकृत हो जाएगा यदि.–

(क) मत को अभिलिखित (दर्ज) करने के चिन्ह के अतिरिक्त उस पर कोई अन्य चिन्ह अंकित किया गया हो या कोई लेखन किया गया हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती है; या

(ख) यदि उसपर मत दर्ज नहीं हुआ हो; या

(ग) यदि एक से अधिक प्रत्याशियों के लिए मत दर्ज किए गए हों; या

(घ) यदि यह अप्रमाणित (जाली) मतपत्र है; या

(ङ) यदि यह इस तरह से क्षतिग्रस्त या विकृत हुआ है कि प्रामाणिक मतपत्र के रूप में इसकी पहचान स्थापित नहीं कि जा सकती है; या

(च) यदि इसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजे गए लिफाफे के साथ वापिस नहीं भेजा गया है।

(8) पोल ड्यूटी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत अस्वीकृत किया जाएगा यदि मत के लिए दर्शाया गया चिन्ह मतपत्र पर इस रीति से लगाया जाता है कि यह संदेहजनक लगे कि किस प्रत्याशी को

मतदान किया गया है।

(9) पोल ड्यूटी मतपत्र पर अभिलिखित (दर्ज) मत केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि मत देने के लिए दर्शाया गया चिन्ह स्पष्ट नहीं है या एक से अधिक बार लगाया गया है, यदि मतपत्र को चिह्नित करने के तरीके से आशय सपष्टतः प्रतीत होता हो कि मत किस विशिष्ट अभ्यर्थी को डाला गया है।

(10) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक प्रत्याशी के पक्ष में अभिलिखित (डाले गए) समस्त विधिमान्य मतों की गणना करेगा और कुल मतों को निम्नलिखित रीति में परिणाम शीट पृष्ठ पर अभिलिखित करेगा, अर्थात्:—

(क) ग्राम पंचायत के सदस्य के मामले में प्ररूप—32 में;

(ख) प्रधान/उपप्रधान के मामले में प्ररूप—34 में;

(ग) पंचायत समिति के सदस्य के मामले में प्ररूप—36 में;

(घ) जिला परिषद् के सदस्य के मामले में प्ररूप—38 में,

और इसकी घोषणा करेगा।

(11) समस्त वैध मतपत्र और अस्वीकृत मतपत्र अलग—अलग पुलिन्दे में पैकेट में रखे जाएंगे जो रिटर्निंग आफिसर और प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं की मोहरों से सीलबंद किए जाएंगे, यदि वे उसपर अपनी सील लगाना चाहें, और उस प्रकार मोहरबंद पैकेट पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतगणना की तारीख और इसकी अन्तर्वस्तु का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा।"।

नियम 75 का संशोधन । 11. उपरोक्त नियमों में, नियम 75 में खण्ड (VI) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात.–

"परन्तु प्ररूप 33, 35, 37 और 39 में परिणाम की घोषणा केवल तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता को नियम 79 के अधीन पुनः गिनती करने के अधिकार का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।"।

नियम 78 का संशोधन । 12. उपरोक्त नियमों के नियम 78 के उप–नियम (2) में, "नियमों" शब्द के पश्चात् "75," अंक और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

नियम 79 का प्रतिस्थापन । 13. उपरोक्त नियमों के नियम 79 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"79. मतों की पुनःगणना.– (1) नियम 75 के अधीन गणना पूरी होने और रिजल्टशीट तैयार करने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी रिजल्टशीट की विशिष्टियों की घोषणा करेगा।

(2) ऐसी घोषणा किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई गणना अभिकर्ता, यथास्थिति, लिखित में या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, पहले से ही गणना किए गए समस्त मत पत्रों या किन्हीं मतपत्रों की पुनः गणना करने के लिए आधार दर्शाते हुए, आवेदन करेगाः

परंतु यदि पुनःगणना के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता हैं तो नियम 75 के खण्ड (V) और (VI) के उपबन्धों के अनुसार परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन पुनः गणना के लिए आवेदन पर, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी मामले का

विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्ण रूप से या भागतः स्वीकार कर सकेगा या यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त लगे तों अस्वीकृत कर सकेगा :

परन्तु, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर अधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चिय लिखित में होगा और जिसमें इस निमित्त कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उप–नियम (3) के अधीन आवेदन को या तो पुर्णतः या भागतः स्वीकार (अनुज्ञात) करने का विनिश्चय करता है तो वह–

(क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनःगणना करेगा;

(ख) ऐसी पुनःगणना के पश्चात् उस विस्तार तक जहां तक आवश्यक है परिणाम में संशोधन करेगा; और

(ग) उसके द्वारा किए गए ऐसे संशोधन की घोषणा करेगा।

(5) उप–नियम (4), के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में किए गए मतदान की कुल संख्या की घोषणा किए जाने के पश्चात्, यथास्थिति, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, रिजल्टशीट को पूर्ण करके उसपर हस्ताक्षर करेगा और तत्पश्चात् पुनःगणना के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।"।

नियम 84 का संशोधन ।

14. उपरोक्त नियमों के नियम 84 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

"84. निर्वाचन कागज पत्रों का निपटारा.– नियम 61, 62, 67 और 83 में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्र और पैकेटस हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) नियम, 1997 के नियम 124 के अधीन राजपत्र में

प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि तक रखे जा सकेंगे और तत्पश्चात् राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या लम्बित विधिक कार्यवाहियों में दिए गए प्रतिकूल किसी निदेश के अध्यधीन नष्ट किए जाएंगे।"।

नियम 85 का संशोधन ।

15. उक्त नियमों के नियम 85 में,–

(क) उप नियम (6) में, "अधिनियम की धारा 127 के अधीन शपथ देने या राज्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करने" शब्दों के स्थान "गणपूर्ति के पूर्ण होने" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप नियम (13) में; "क्रास (X) का चिन्ह लगाएगा" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मोहर को लगाकर मतपत्र को चिह्नित करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 86 का संशोधन ।

16. उक्त नियमों के नियम 86 में,–

(क) उप नियम (6) में "अधिनियम की धारा 127 के अधीन शपथ दिलाए जाने या राज्य निष्टा के प्रतिज्ञान कराने" शब्दों के स्थान पर "गणपूर्ति के पूर्ण होने" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उप नियम (13) में; "क्रास (X) करेगा" शब्दों और काष्ठकों के स्थान पर "प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई गई मोहर को लगाकर मत पत्र को चिन्हित करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 87 का संशोधन ।

17. उक्त नियमों के नियम 87 में,–

(क) उप–नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप नियम (8) में "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

"परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण

को ऐसी ग्राम सभा में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।"; और

(ग) उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(8—क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा मानो उक्त निर्वाचन उप—नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न ग्राम सभाओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।

नियम 88 का संशोधन ।

18. उक्त नियमों के नियम 88 में,—

(क) उप—नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप नियम (8) में "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

"परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी पंचायत समिति में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस पंचायत समिति की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।"; और

(ग) उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(8—क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप—नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न पंचायत समितियों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।

नियम 89 का संशोधन ।

19. उक्त नियमों के नियम 89 में.—

(क) उप—नियम (5) और (7) में "एक तिहाई" शब्द जहां जहां वे आते हैं, के स्थान पर "आधा" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप नियम (8) में "(और पहले आरक्षित पद सामान्य प्रवर्ग के सदस्यों के लिए अनारक्षित होंगे)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा और विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थातः—

"परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट प्रवर्ग के लिए आरक्षण को ऐसी जिला परिषद् में, जहां पर उस प्रवर्ग की जनसंख्या उस जिला परिषद् की कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम है, चक्रानुक्रमित नहीं किया जाएगा।"; और

(ग) उप नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(8—क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2010 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप—नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न जिला परिषद्ों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।"।

प्ररूप—11, प्ररूप—12 और प्ररूप—13 का संशोधन ।

20. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप—11, प्ररूप—12 और प्ररूप—13 में, "तारीख .... 19........." चिन्हों, शब्दों और अंको के स्थान पर "तारीख .... 20......... " चिन्ह, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

प्ररूप—15 का प्रतिस्थापन ।

21. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप—15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप—15
{नियम 21 (1) देखें}
निर्वाचक नामावली के अतिंम प्रकाशन की सूचना

सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्................. के निर्वाचन क्षेत्र संख्या...................(निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में पुनरीक्षण प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेशित परिवर्धन/लोप (हटाया जाना) और शुद्धिकरण को उक्त प्रारूप नामावली में समाविष्ट कर दिया गया है या ऐसे संशोधनों की सूची हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार तैयार हो गई है और इस प्रकार शुद्ध(ठीक) की गई निर्वाचक नामावली की एक प्रति संशोधनों की सूची

सहित अंतिम रूप में प्रकाशित कर दी गई है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

स्थान...................
तारीख.................. "।

प्ररूप–28क, प्ररूप–28ख, प्ररूप–28ग, प्ररूप–28घ, और प्ररूप–28ङ का अंतःस्थापन।

22. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–28 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप–28क, प्ररूप–28ख, प्ररूप–28ग, प्ररूप–28घ, और प्ररूप–28ङ जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"प्ररूप–28क
{नियम 49–ख देखें}
रिटर्निंग आफिसर को सूचना का पत्र

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,
पंचायत..........
विकास खण्ड...........
जिला............ (हिमाचल प्रदेश)

श्रीमान,

मैं उसी खण्ड (ब्लाक) के भीतर मतदान ड्यूटी पर आरूढ़ एक मतदाता हूं और मेरा नाम ग्राम पंचायत............... पंचायत समिति...................... जिला परिषद्............... के वार्ड संख्या................. के लिए निर्वाचित नामावली के .... क्रम संख्या .... पर प्रविष्ट (दर्ज) है।

मैं उक्त पंचायतों के आगामी निर्वाचनों (चुनावों) में ग्राम पंचायत......... .के वार्ड संख्या .... से अपना मत डालने हेतु आशयित हूं।

भवदीय,

स्थान...................
तारीख..................

प्ररूप–28ख

{नियम 49–घ (1) (क), 49–ङ (2) और 73–क (3) एवं (6) देखें}

मतदाता द्वारा घोषणा

.... के लिए निर्वाचन

(इस तरफ (स्थान) का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब मतदाता घोषणा पर स्वयं हस्ताक्षर करता है)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं ही वह मतदाता हूं जिसे उपर्युक्त निर्वाचन में क्रम संख्या .... वाला पोल ड्यूटी मतपत्र जारी किया गया है।

मतदाता के हस्ताक्षर।

तारीख..................
पता...................
हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

............................मतदाता द्वारा उपर्युक्त घोषणा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं/जिसकी............ (पहचानकर्ता) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं द्वारा मेरे समाधान हेतु पहचान करवाई गई है।

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर, यदि कोई हो............................

पदनाम..................
पता............................
तारीख........................

प्ररूप–28ग

{नियम 49–घ (1) (ख) और 73–क (5) एवं (6) देखें}

पोल ड्यूटी मतपत्र के लिए लिफाफा

(केवल एक मतपत्र डालें)

क. गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए •.............निर्वाचन क्षेत्र से.........का निर्वाचन (पंचायत के पद का नाम जिसके लिए निर्वाचन होना या किया जाना है) पोल ड्यूटी मतपत्र मतपत्र की क्रम संख्या...........................

• निर्वाचन के उचित दस्तावेजों को यहां अन्तःस्थापित किया जाना है।

प्ररूप–28घ
{नियम 49–ङ (1) (ग) और 73–क (5) देखें}
पोल ड्यूटी मतपत्रों के लिए बड़ा लिफाफा

ख.

निर्वाचन–तुरंत
पोल ड्यूटी मत पत्र
गणना से पूर्व लिफाफा खोला न जाए

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

•............................ निर्वाचन क्षेत्र से ....

के लिए (पंचायत के पद का नाम जिसके

लिए निर्वाचन किया जाना है) का निर्वाचन।

प्रेषक के हस्ताक्षर ....

• रिटर्निंग आफिसर यहां ग्राम पंचायत के यथोचित निर्वाचन क्षेत्र का नाम अन्तःस्थापित करें।

प्ररूप–28ङ
{नियम 49–ङ (1) (घ) और 49–छ (1) देखें}
मतदाताओं की जानकारी के लिए निर्देश
(पंचायतों के निर्वाचन में उपयोग किए जाएं)

..............................से ....के लिए •निर्वाचन।

व्यक्ति, जिनके नाम एतद्द्वारा भेजे गए मतपत्र पर मुद्रित किए गए है, उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं। आप अपना मत, उस अभ्यर्थी, जिसे आप मत देना चाहते हैं, के नाम के विरूद्ध स्पष्टतः एक चिन्ह लगाकर, अभिलिखित (रिकार्ड) करें।

चिन्ह ऐसे लगाया जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति, जिसे आप अपना मत दे रहें हैं स्पष्टतया और संदेह से परे इंगित हो सके। यदि लगाया गया ऐसा चिन्ह संदेहास्पद लगता है कि किस व्यक्ति को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृप्या याद

रखें कि आपके पास केवल एक मत है। तद्नुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मतदान नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित (रिकार्ड) करने के लिए अपेक्षित चिन्ह के सिवाय, अपने हस्ताक्षर नहीं करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिन्ह चिह्नित न करें अथवा जहां कहीं भी हस्ताक्षर या लेखन न करें।

मतपत्र पर अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात्, मतपत्र को एतद्द्वारा भेजे गए 'क' 'A' चिन्हित छोटे लिफाफे में रखें। लिफाफा बंद कर दें और इसे मोहर बंद या अन्यथा से सुरक्षित करें।

तब आप प्ररूप–28ख में घोषणा को हस्ताक्षरित करें।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित होने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात्, प्ररूप–28घ में दी गई घोषणा और मतपत्र युक्त 'क' 'A' चिह्नित छोटे लिफाफे को भी 'ख' 'B' चिन्हित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त व्यक्तिगत तौर पर प्राधिकृत किसी अधिकारी को सौंप दें। 'ख' 'B' चिह्नित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आपको अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

• निर्वाचन के समुचित विशिष्टियों को यहां पर अन्तःस्थापित किया जाना है।

आप यह अवश्य सुनिश्चित करें कि लिफाफा,................................ को• ....से• पहले रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त किसी अधिकारी को दे दिया गया है।

कृप्या नोट करें कि–

(i) यदि आप उपर्युक्त इंगित रीति में अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा; और

(ii) यदि लिफाफा, ... को• .... के पश्चात्• रिटर्निंग आफिसर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी

....•

(• यहां मतों की गणना के आरम्भ होने के लिए नियत घण्टे और तारीख को विनिर्दिष्ट करें)।

प्ररूप–33, प्ररूप–37, प्ररूप–39 और प्ररूप–43 का संशोधन ।	23. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–33, प्ररूप–37, प्ररूप–39 और प्ररूप–43 में, "तारीख .... 19........." चिन्हों, शब्दों और अंको के स्थान पर "तारीख ... . 20........." चिन्ह, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा

सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः पीसीएच–एचए (1)18/2008–31189–214 तारीख शिमला–9, 8सितम्बर, 2010.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
3. प्राचार्य, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ तथा मशोबरा, हिमाचल प्रदेश।
4. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को इस अनुरोध सहित कि वे उपरोक्त अधिूसचना को राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित करने की कृपा करें।

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification Number PCH- HA(1)-18/2008-31189-214, dated the 8th September, 2010 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj.
…

NO. PCH-HA(1)18/2008 Dated Shimla-171 009, the 8th September , 2010.

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 25th August, 2010 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 24th August, 2010 as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified vide notification No.PCH-HA(3)6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra of Himachal Pradesh dated 8th February, 1995, namely :-

Short title.

1. These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010.

Amendment of rule 2.

2. In rule 2 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter called the 'said rules'), in sub rule (1), for clause (c), the following shall be substituted, namely:-

"(c) "District Election Officer (Panchayat)" means the officer appointed by the State Election Commission for the conduct of election to the Panchayats and also includes Assistant District Election Officer:

Provided that where District Election Officer as well as Assistant District Election Officer are appointed for a District, the State Election Commission shall in the order of their appointments also specify

the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.”.

Substitution of rule 11.

3. For rule 11 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"11. *Final publication of delimitation of constituencies*.- (1) The delimitation made under rules 6, 8 and 9 shall be amended in the light of the orders of the Divisional Commissioner, if any, made under rule 10 and the delimitation shall be finalised within a period of 30 days from the date of publication of the proposal in this behalf. A copy of the final orders of the delimitation of constituencies of the Panchayats shall be affixed on the notice boards of the offices of the Deputy Commissioner, Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat and at such other places as the Deputy Commissioner may decide and the copies of the same shall also be sent to the State Election Commission and the State Government.

(2) An elector may obtain a copy of the final delimitation order by making an application to the Deputy Commissioner or to the Secretary of the Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat, as the case may be, who shall make available the same to the said elector on payment of rupees five per page or part thereof against cash receipt.".

Amendment of rule 14.

4. In rule 14 of the said rules, after clause (e), the following clause (f) shall be added, namely:-

"(f) is already registered as a voter in a Municipality or in some other Gram Sabha.".

Amendment of rule 23.

5. In rule 23 of the said rules, in last proviso, for the words "five days", the words "nine days" shall be substituted.

Amendment of rule 24.

6. In rule 24 of the said rules, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) The District Election Officer (Panchayats) shall as may be, after the expiry of the period specified in the notice under sub-rule (2), consider the objections, if any, received by him and shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct such name to be included therein within a period of 3 days:

Provided that if the applicant whose name is ordered to be

included is already registered in the electoral roll of any other constituency of the same Gram Sabha or another Gram Sabha or a Municipality, such a name shall be deleted from that electoral roll:

Provided further that an application under this rule at any time after publication of the election programme under rule 32 shall be made to the District Election Officer (Panchayats) not later than 9 days before the last date fixed for the filing of nomination papers:

Provided further that no amendment or transposition or deletion of any entry shall be made on or after the last date for making nomination till the election process is over".

Amendment of rule 25.

7. In rule 25 of the said rules,-

(a) in sub-rule (1), clause (e) shall be deleted; and

(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) One complete copy of the electoral roll for each constituency duly authenticated by the District Election Officer (Panchayats) shall be kept at such place and for such period as the State Election Commission may specify.".

Amendment of rule 28.

8. In rule 28 of the said rules,-

(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;

(b) for sub-rule (8), the following shall be substituted, namely : -

"(8) The Constituencies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to general category on the basis of percentage of population shall be rotated after every five years from the date of first election. At the time of next election, the constituency/constituencies having the next highest percentage of population shall be reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to general category and so on for subsequent elections:

Provided further that the reservation for a particular category shall not be repeated unless all other constituencies are coverd by rotation:

Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a constituency where the population of that category is less than 5% of the total population of that constituency."; and

(c) after sub-rule (8) so substituted, the following sub-rule (8-A) shall be inserted, namely:-

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of seats shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of seats shall be rotated to different constituencies under this rule.".

Insertion of Chapter-V-A.

9. After CHAPTER-V of the said rules, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"CHAPTER-V-A

POLL DUTY BALLOT

49-A. *Electors on poll duty entitled to vote.*- Subject to their fulfilling the requirements hereinafter specified, the electors who are on poll duty within the same block shall be entitled to vote at an election of Panchayat.

49-B. *Intimation by voters on Poll Duty.*- An elector on poll duty within the same Block, who wishes to vote at an election shall apply in Form-28A to the Returning Officer for the Panchayat so as to reach him at least seven days or such shorter period as the State Election Commission may allow before the date of poll; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is an elector on poll duty, he shall issue him Poll Duty Ballots, each to be used for the election of member, Up-Pradhan, Pradhan of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad.

49-C. *Form of ballot paper.*- The ballot papers to be issued to the electors on

Poll Duty within the same Block shall be same as are issued to other electors of the concerned Panchayat.

49-D. *Issue of ballot paper.*- (1) The Poll Duty Ballot Papers shall be delivered to such voter by the Returning Officer for the Gram Panchayat personally together with,-

(a) two Declaration forms in Form-28B (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad);

(b) five covers in Form-28C (one for each ballot paper);

(c) two large cover addressed to the Returning Officer in Form-28D (one for Gram Panchayat and other for Panchayat Samiti and Zila Parishad); and

(d) instructions for the guidance of the elector in Form 28-E.

(2) The Returning Officer for the Gram Panchayat shall at the same time-

(a) record on the counterfoil of the ballot paper the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll;

(b) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that a ballot paper has been issued to him, without however recording therein the serial number of the ballot paper issued to that elector; and

(c) ensure that the elector is not allowed to vote at a polling station.

(3) Before any ballot paper is issued to an elector on election duty at an election, the serial number of the ballot paper shall be effectively concealed in such a manner as the State Election Commission may direct.

(4) After ballot papers have been issued to all the electors on poll duty, the Returning Officer for the Gram Panchayat shall seal in a packet the marked copy of the electoral roll and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it is sealed.

(5) The Returning Officer for the Gram Panchayat shall also seal in a separate packet the counterfoils of the ballot papers issued to electors on poll duty and record on the packet a brief description of its contents and the date on which it has been sealed.

49-E. *Recording of Vote.*- (1) An elector who has received Poll Duty Ballot Papers and desires to vote shall record his vote on the ballot paper in accordance with the directions contained in Form-28-E and then enclose each ballot paper in separate cover in Form-28C.

(2) The elector shall sign the declaration in Form-28B in the presence of Returning Officer of the Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission.

49-F. *Return of ballot paper.*- (1) After an elector has recorded his vote and made his declaration under rule 49-E, he shall return the ballot paper and declaration to the Returning Officer for the Gram Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission within such time as may be fixed and in accordance with the instructions communicated to him in Form-28E.

(2) If any cover containing a poll duty ballot paper is received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in sub-rule (1) he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.

(3) The Returning Officer for Gram Panchayat or such officer as may be notified in this behalf by the State Election Commission shall ensure that all covers containing poll duty ballot papers received by him are delivered to-

(a) the Assistant Returning Officer for Gram Panchayat of the concerned Gram Panchayat in the case of election of Gram Panchayat;

(b) the Returning Officer of the concerned Panchayat Samiti in the case of election of members of Panchayat Samiti at the time of counting of votes; and

(c) the Returning Officer of the concerned Zila Parishad in the case of election of members of Zila Parishad at the time of counting of votes.".

Insertion of rule 73-A.

10. After rule 73 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"73-A. Counting of votes received through poll duty ballot papers.-

(1) The Returning Officer shall at the first instance deal with the poll duty ballot papers in the manner hereinafter provided.

(2) No cover in Form-28D received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in this behalf shall be opened and no vote contained in such a cover shall be counted.

(3) The other covers shall be opened one after another and as each cover is opened, the Returning Officer shall first scrutinize the declaration in Form-28B contained therein and if the said declaration is not found, or has not been duly signed and attested, or is otherwise substantially defective, or if the serial number of the ballot paper as entered in it differs from the serial number endorsed on the cover in Form-28C, that cover shall not be opened, and after making an appropriate endorsement thereon, the Returning Officer shall reject the ballot paper contained therein.

(4) Each cover so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the cover in Form-28D and all such covers in Form-28D shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its content.

(5) The Returning Officer shall then place all the declarations in Form-28B which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any cover in Form-28C is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (4).

(6) The covers in Form-28D not already dealt with under the foregoing provisions of this rule shall then be opened one after another and the Returning Officer shall scrutinize each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.

(7) A poll duty ballot paper shall be rejected-

(a) if it bears any mark other than mark to record the vote or writing by which the elector can be identified; or

(b) if no vote is recorded thereon; or

(c) if votes are recorded in favour of more candidates than one; or

(d) if it is a spurious ballot paper; or

(e) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or

(f) if it is not returned in the cover sent along with it to the elector by the Returning Officer.

(8) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall be rejected if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been recorded.

(9) A vote recorded on a poll duty ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the ballot paper is marked.

(10) The Returning Officer shall count all the valid votes recorded in favour of each candidate and record the total thereof in the result sheet in-

(a) Form-32 in the case of member of Gram Panchayats;

(b) Form-34 in the case of Pradhan/Up Pradhan;

(c) Form-36 in the case of member of Panchayat Samiti ; and

(d) Form-38 in the case of member of Zila Parishad,

and announce the same.

(11) All the valid ballot papers and the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in a packet which shall be sealed with the seals of the Returning Officer and the candidates or their election agents or counting agents, if they desire to affix their seals thereon, and on the packet so sealed the name of the constituency, the date of counting and a brief description of its contents shall be recorded.".

Amendment of rule 75.

11. In rule 75 of the said rules, after clause (vi), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that the declaration of results on Forms 33, 35, 37 and 39 shall be made only after a reasonable opportunity for exercise of right to recount has been given under rule 79 to the candidate or his election agent or his counting agent.".

Amendment of rule 78.

12. In rule 78 of the said rules, in sub-rule (2), after the words "rules", the figure and sign "75," shall be inserted.

Substitution of rule 79.

13. For rule 79 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"79. *Recount of votes*.- (1) After the completion of the counting and preparation of result sheet under rule 75, the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him shall announce the particulars of the result sheet.

(2) After such announcement has been made, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agent may apply in writing to the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him in this behalf for a recount of all or any of the ballot papers already counted stating the grounds on which he demands such recount:

Provided that if no application for recount is received within reasonable time the result shall be declared in accordance with the provisions of clauses (v) and (vi) of rule 75.

(3) On an application for recount under sub-rule(2), the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or other officer authorised by him in this behalf shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject it if it appears to him to be frivolous or unreasonable:

Provided that every decision of the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other Officer authorised by him shall be in writing and contain the reasons

therefor.

(4) If the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or any other officer authorised by him in this behalf, decides under sub-rule (3) to allow an application either in whole or in part, then he shall-

(a) count the ballot papers again in accordance with his decision;

(b) amend the result sheet to the extent necessary after such recount; and

(c) announce the amendment so made by him.

(5) After the total number of votes polled in favour of each candidate has been announced under sub-rule (4), the District Election Officer (Panchayat) or Returning Officer, as the case may be, or such other officer authorised by him, shall complete and sign the result sheet and no application for a recount shall be entertained thereafter.".

Amendment of rule 84.

14. For rule 84 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

"84. *Disposal of Election Papers*.- The election papers and packets referred to in rules 61, 62, 67 and 83 shall be retained for a period of ninety days from the date of publication of results in the Official Gazette under rule 124 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 and shall thereafter be destroyed subject to any direction to the contrary given by the State Government or by the State Election Commission or by a Competent Court or pending legal proceedings.".

Amendment of rule 85.

15. In rule 85 of the said rules,-

(a) in sub-rule (6), for the words "oath or affirmation of allegiance under section 127 of the Act is administered or made", the words "completion of quorum" shall be substituted; and

(b) in sub-rule (13), for the words and brackets "put a cross (X)", the words "mark the ballot paper by putting the seal provided for the purpose" shall be substituted.

Amendment of rule 86.

16. In rule 86 of the said rules,-

(a) in sub-rule (6), for the words "oath or affirmation of allegiance under section 127 of the Act is administered or made", the words "completion of quorum" shall be substituted; and

(b) in sub-rule (13), for the words and brackets "put a cross (X)", the words "mark the ballot paper by putting the seal provided for the purpose" shall be substituted.

Amendment of rule 87.

17. In rule 87 of the said rules,-

(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;

(b) in sub-rule (8), the brackets and words "(and the office earlier reserved shall be kept open to the members of the general category)" shall be deleted and after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely : -

"Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a Gram Sabha where the population of that category is less than 5% of the total population of that Gram Sabha."; and

(c) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Gram Sabhas under this rule.".

Amendment of rule 88.

18. In rule 88 of the said rules,-

(d) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;

(a) in sub-rule (8), the brackets and words "(and the office earlier

reserved shall be kept open to the members of the general category)" shall be deleted and after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely : -

"Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a Panchayat Samiti where the population of that category is less than 5% of the total population of that Panchayat Samiti."; and

(b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Panchayat Samitis under this rule.".

Amendment of rule 89.

19. In rule 89 of the said rules,-

(a) in sub-rules (5) and (7), for the words and sign "one-third", wherever these occur, the words and sign "one-half" shall be substituted;

(b) in sub-rule (8), the brackets and words "(and the office earlier reserved shall be kept open to the members of the general category)" shall be deleted and after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely : -

"Provided further that the reservation for a particular category shall not be rotated in such a Zila Parishad where the population of that category is less than 5% of the total population of that Zila Parishad."; and

(c) after sub-rule (8), the following sub rules shall be inserted, namely:-

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the

commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Amendment Rules, 2010 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Zila Parishads under this rule.".

Amendment of Form-11, Form-12 and Form-13.

20. In Form-11, Form-12 and Form-13 appended to the said rules, for the signs, words and figure "…….day of 19…." , the signs, words and figure "…….day of 20…." shall be substituted.

Substitution of Form-15.

21. For Form-15 appended to the said rules, the following shall be substituted, namely :-

"FORM-15

[See rule 21 (1)]

NOTICE OF FINAL PUBLICATION OF ELECTORAL ROLL

It is hereby notified for public information that the additions/deletions and corrections ordered by the Revising Authority/Appellate Authority to the draft electoral roll for Constituency No……… (Constituency) of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/ Zila Parishad………….. has been incorporated in the said draft roll or list of such amendments has been prepared in accordance with the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and a copy of the electoral roll so corrected alongwith list of amendments has been published finally.

Registration Officer.

Place ……………………
Date ………………………

Insertion of Form-28A, Form-28B, Form-28C, Form-28D and Form-28E.

22. After Form-28 appended to the said rules, the following Form-28A, Form-28B, Form-28C, Form-28D and Form-28E, shall be added, namely:-

"FORM-28A

[See rule 49-B]

LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER

To

The Returning Officer,
Panchayat…………,

Development Block………
District…………(H.P.)

Sir,

I am a voter on election duty within the same Block and my name is entered at Sr. No.…… of the electoral roll for ward No…… of Gram Panchayat………………Panchayat Samiti…………. Zila Parishad ………….

I intend to cast my vote at the ensuing elections to the said Panchayats from ward No……… of Gram Panchayat……………….

Yours faithfully,

Place…………….
Date……………

FORM-28B
[See rules 49-D(1) (a), 49-E (2) and 73-A (3) & (6)]

DECLARATION BY ELECTOR

Election to the..........

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

I hereby declare that I am the elector to whom the poll duty ballot paper bearing serial number...........has been issued at the above election.

Signature of elector.

Date............

Address..............

Attestation of signature

The above declaration has been signed in my presence by..............(elector) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by..........(identifier) who is personally known to me.

Signature of Attesting Officer.

Signature of identifier, if any....................
Designation...............
Address............
Date......................

FORM-28C

[*See* rules 49-D(1)(b) and 73-A (5)&(6)]

COVER FOR POLL DUTY BALLOT PAPER

(Put only one Ballot Paper)

A.

NOT TO BE OPENED

BEFORE COUNTING

*Election of ....(Name of office of Panchayat for which elections are to be held) from............ Constituency.

POLL DUTY BALLOT PAPER

Serial number of ballot paper………

*Appropriate particulars of the election to be inserted here.

FORM-28D

[See rules 49-E(1)(c) and 73-A(5)]

LARGE COVER FOR POLL DUTY BALLOT PAPERS

B. ELECTION-IMMEDIATE

POLL DUTY BALLOT PAPER

COVER NOT TO BE OPENED

BEFORE COUNTING

To

The Returning Officer

For election of ....(Name of office of Panchayat for which elections are to be held) from............ * Constituency.

Signature …………...........

of sender ....……………

*Returning Officer to insert here the name of the appropriate Constituency of the Gram Panchayat.

FORM-28E

[*See* rules 49-E(*1*)(*d*) and 49-G(1)]

INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF ELECTORS

(To be used at an election to the Panchayats)

Election to the*...........from the............................…………………………

The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to cast your vote.

The mark should be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are casting your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have cast your vote, your vote will be invalid.

The number of members to be elected is one. Please remember that you have only one vote. Accordingly you should not vote for more than one candidate. If you do so, your ballot paper will be rejected.

Do not put your signature or write any word or mark any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark required to record your vote.

After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the smaller cover marked 'A' sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.

You may then sign the declaration in Form 28-B.

After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 28-D as also the smaller cover marked 'A' containing the ballot paper in the larger cover marked 'B'. After closing the larger cover, deliver it to the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission personally.

You have to give full signature in the space provided on the cover marked `B'.

* Appropriate particulars of the election, to be inserted here.

You must ensure that the cover is delivered to the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission before**...................**on...................................

Please note that —

(i) if you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper will be rejected; and

(ii) if the cover reaches the Returning Officer or the Officer authorized in this behalf by the State Election Commission after**.........................on the**........... ....your vote will not be counted.

____*

*(Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes).

Amendment of Form-33, Form-37, Form-39 and Form-43.

23. In Form-33, Form-37, Form-39 and Form-43 appended to the said rules, for the signs, words and figure "…….day of 19…." , the signs, words and figure "…….day of 20…." shall be substituted.

By order

Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. NO. PCH-HA(1)18/2008-31189-214 Dated Shimla-9, the 8th. September, 2010.

Copy for information and necessary action forwarded to:-

1. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
2. All the District Panchayat Officers in Himachal Pradesh.
3. Principal, Panchayati Raj Training Institute, Baijnath/Mashobra.
4. Controller Printing and Stationary Department, H.P. Shimla-171005 with the request that the above notification may kindly be published in Rajpatra (extra-ordinary).

Special Secretary(Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.